मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314 भोपाल, गुरूवार, दिनांक 18 अप्रैल 1991 –
चैत्र 28, शके 1913

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 1991

क्र. 5848–इक्कीस–अ (प्रा) मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 16 अप्रैल, 1991 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जनकारी के लिये प्रकाशित किया जाता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी.पी.एस. पिल्लई उपसचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 9 सन् 1991.
चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991.

विषय– सूची.

धाराएं :

अध्याय 1–प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.
2. परिभाषाएं.

अध्याय 2–विश्वविद्यालय
3. विश्वविद्यालय का निगमन.
4. प्रादेशिक अधिकारिता.
5. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में विभेद का प्रतिषेध.
6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

7. विश्वविद्यालय में प्रवेश.
8. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.
9. वीक्षण तथा निरीक्षण.
10. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
11. बोर्ड का गठन.
12. बोर्ड की शक्तियां और उसके कर्तव्य.
13. विद्या परिषद.
14. विद्या परिषद की शक्तियां, उसके कृत्य और कर्तव्य.
15. संकाय.
16. अध्ययन बोर्ड.
17. विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड.
18. समितियों का गठन.
19. प्राधिकारियों में सदस्यता संबंधी उपबन्ध.
20. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
21. कार्यवाहियां रिक्त के कारण अविधिमान्य नहीं होगी.

अध्याय 4 – विश्वविद्यालय के अधिकारी.
22. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
23. कुलाधिपति और उसकी शक्ति.
24. कुलपति.
25. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.
26. प्रथम कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.
27. प्रति कुलपति.
28. कुल सचिव.
29. नियत्रंक.
30. अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पारिश्रमिक.
31. अध्यापन, अनुसंधान तथा कृत्यों का विस्तार और एकीकरण तथा पाठ्यचर्चा और सेवाओं का समन्वय.

अध्याय–5 विश्वविद्यालय के कर्मचारी.
32. अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति
33. बीमा तथा भविष्य निधि.

अध्याय 6 विश्वविद्यालय निधि आदि

34. विश्वविद्यालय निधि तथा सरकारी अनुदान.
35. उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.
36. वार्षिक रिर्पाट तथा लेखाओं की संपरीक्षा.

अध्याय–7 परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम.

37. परिनियम
38. परिनियम कैसे बनाए जायेंगे
39. आध्यादेश
40. अध्यादेश कैसे बनए जायेंगे
41. विनियम

अध्याय–8 प्रकीर्ण

42. विद्यार्थियों के निवास स्थान
43. शक्त्यिां का प्रत्यायोजन
44. अधिनियम क्रमांक –21 सन् 1973 का लागू न होना
45. कठिनाइयों का दूर किया जाना
46. निरसन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 9 सन् 1991

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम 1991

दिनांक 16 अप्रैल 1991 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुइ, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 18 अप्रैल, 1991 को प्रथम बार प्रकाशित की गई

राज्य में ग्रामीण जीवन के विकास संबंधी शिक्षा और उसके सम्बद्ध में अनुसंधान किए जाने के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापिज और निगमित करने तथा उससे समबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारानिम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–1 प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम व विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी [4]चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

परिभाषाऐं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित

न हो, –

(क) ''विद्यापरिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् ;

(ख) ''सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था'' से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारी दिए गए हैं ;

(ग) ''स्वशासी महाविद्यालय/संस्था'' से अभिप्रेत है वह शिक्षा संस्था जिसे बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार स्वशासी महाविद्यालय/संस्था के रूप में घोषित किया गया है;

(घ) ''बोर्ड''से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड ;

(ङ) ''अध्ययन बोर्ड'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड ;

(च) ''महाविद्यालय/संस्था'' से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधें द्वारा या उनके अधीन संधारित किया जाता है या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारी दिए गए है ;

(छ) ''कर्मचारी'' के अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत है विश्वविद्यालय के अध्यापकगण और अन्य कर्मचारिवृन्द;

(ज) ''परिनियमों'',''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत यथास्थिति परिनियम, अध्यादेश और विनियम ;

(झ) ''अनुसूचित जातियों'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियां

(ग) ''अनुसूचित जनजातियों'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों ;

(ट) ''विश्वविद्यालय का विद्यार्थी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय में उपाधि, उपाधिपत्र या सम्यकरूपेण संस्थित विद्या संबंधी

अन्य विशिष्टता के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने के विश्वविद्यालय में नामांकित किया गया है ;

(ट) ''विश्वविद्यालय का अध्यापक'' से अभिप्रेत है आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर), प्राध्यापक (लेक्चरार) और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विद्यापरिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या संस्था में, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यता प्राप्त हैं, शिक्षण देने या अनुसंधान कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए ;

(ठ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है वह विश्वविद्यालय जिसे प्राथमिक स्तर से लेकर पोस्ट–डाक्टोरल स्तर तक की ग्रामीण विकास से सम्बद्ध शिक्षा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जाता है .

अध्याय 2 – विश्वविद्यालय.

विश्वविद्यालय का निगमन

3. (1) महात्मा गांधी [5]चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें एक कुलाधिपति, एक कुलपति, एक प्रतिकुलपति, एक प्रबंध बोर्ड, एक विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारी और अधिकारी होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों में उपबंधित हैं .

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत् उत्तराधिकारी होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से बाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरूद्ध बाद चलाया जाएगा.

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो उसमें निहित हो गई हैं, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा अर्जित की गई है, पट्टे पर

देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने तथा संविदा करने और ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हैं, करने के लिये सक्षम होगा.

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं विश्वविद्यालय के कुल सचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी

(5) विश्वविद्यालय का मुख्यालय चित्रकूट, जिला सतना, मध्यप्रदेश में होगा.

प्रादेशिक अधिकारिता.

4. अध्यापन, अनुसंधान और ग्रामीण विकास शिक्षा के कार्यक्रमों के विस्तार के संबंध में इस विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता और उत्तरदायित्व सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर विस्तारित होगा.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में विभेद का प्रतिषेध.

5. विश्वविद्यालय इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का पालन करने में धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्मस्थान राजनैतिक या अन्य विचारधरा के आधर पर या इनमें से किसी भी एक के आधार पर, भारत के किसी भी नागरिक के विरूद्ध विभेद नहीं करेंगा.

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(1) व्यक्ति के एकीकृत विकास पर विशेष बल देते हुए, ग्रामीण विकास से संबंधित अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में पूर्व प्राथमिक स्तर से पोस्ट डाक्टोरल स्तर तक की शिक्षा देने के लिए व्यवस्था करना.

(2) शिक्षा और प्रशिक्षण के समस्त पहलुओं का उत्पादक और सृजनात्मक क्रियाकलापों के साथ शिक्षा के सभी प्रक्रमों पर विज्ञान, प्रोद्यौगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के अनुशासनों के परे समस्तरीय रूप से तथा प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा के समस्त प्रक्रमों के परे उर्ध्वस्थ रूप से एकीकरण करना.

(3) विभिन्न स्तरों पर, विशेषतः उभरते हुए रूरल आकुपेशन्स के आस–पास के तृतीयक स्तर पर ग्रामीण अभिनति वाले विविध पाट्यक्रम विभिन्न स्तरों पर तैयार करना और क्षेत्र कार्य मूलक पाठ्यक्रमों को सम्यक् मान्यता और प्रोत्साहन देना.

(4) अनुसंधानों को, विशेषतः समुदाय–आधारित और नैदानिक अनुसंधानों को आगे बढ़ाने में सहायता देना

(5) नई प्रौद्योगिकियों संबंधी ज्ञान ग्रामों में पहुंचाने और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को ग्रामों की आवश्यकताओं से अवगत कराने की दृष्टि से विस्तारी कार्य हाथ में लेना.

(6) नई तकनीकों संबंधी विचारों और अनुभव का आदान–प्रदान करना और ग्रामीण विकास काय्र में अभिरूचि रखने वाले विभिन्न अभिकरणों, संगठनों या व्यक्तियों के बीच माध्यम के रूप में कार्य करना.

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थान/महाविद्यालय स्थापित करना, संधारित करना, समेकित करना और पुनर्गठित करना और उन्हें ग्रामीण अभिनति से युक्त सम्मिश्रित स्वरूप प्रदान करना अर्थात् ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिक और उच्चतर स्तरों से उपाधिपत्र और उपाधि स्तरों तक संयोजित करना.

(8) ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं से सम्बद्ध शिक्षा कार्यक्रमों से सुदृढ़ बनाने के लिए, चुने हुए महाविद्यालयों/संस्थाओं को स्वशसी महाविद्यालयों/संस्थओं के रूप में विकसित करना.

(9) ग्रामोन्मुख शिक्षा के कार्य में संलग्न अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करना, उनका विकास करना और उन्हें सृदृढ़ बनाना.

(10) माइक्रो–लेवल योजनाएं तैयार करने, उन्हें मानीटर करने और उनके मूल्यांक के लिए परामर्शी सेवा (कन्सलटेन्सी) की व्यवस्था करना.

(11) ऐसे अन्य कार्य करना जो विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए, समय–समय पर, अवधारित करें.

विश्वविद्यालय में प्रवेश.

7. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा जो प्रवेश के लिए विहित शैक्षणिक स्तरमान नहीं रखते हैं या ऐसे व्यक्तियों को विश्वविद्यालय की नामावली में नहीं रखेगा जिनका शैक्षणिक अभिलेख उपाधि देने के लिये अपेक्षित निम्नतम स्तरमान से निम्न है :

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में उतने विद्यार्थियों से अधिक विद्याथियों को प्रवेश नहीं देगा जितने कि विश्वविद्यालय में या किसी विशिष्ट महाविद्यालय में जैसा कि विद्या परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, उपलब्ध संकायों या विभाग में समायोजित किए जा सकते हैं.

(2) उपर्युक्त उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार यह निदेशित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए या भारत के अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी :

परन्तु ऐसा, कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकथित स्तरमानों की पूर्ति न करता हो.

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.

8. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:–

(1). ग्रामीण विकास से संबंधित समस्त विषयों में पूर्व प्रथामिक सतर से स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना.

(2). शिक्षा और प्रशिक्षण के समस्त पहलुओं का उत्पादक और सृजनात्मक क्रियाकलापों के साथ शिक्षा के सभी प्रक्रमों पर प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, आयुर्विज्ञान विधि–अध्ययन और सामाजिक विज्ञानों के अनुशासनों के परे समस्तरीय रूप से एकीकरण की व्यवस्था करना.

(3). विभिन्न स्तरों पर, क्षेत्र–कार्य–मूलक पाठ्यक्रमों को सम्यक् मान्यता और प्रोत्साहन देने वाले विविध ग्रामोन्मुख पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना.

(4). ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न शाखाओं में उपाधियां, उपाधिपत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना.

(5). प्रौद्योगिकियों संबंधी ज्ञान ग्रामों में पहुंचाने की दृष्टि से अनुसंधानों, विशेषतः समुदाय–आधारित और नैदानिक अनुसांधानों, के लिए व्यवस्था करना और विस्तार कार्य हाथ में लेना.

(6). सम्मानिक उपाधियों और ऐसी अन्य विशिष्टताएं, जो विहित की जाएं, प्रदान करना.

(7). ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं से सम्बद्ध शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए चुने हुए माहाविद्यालय/संस्थाओं को स्वशासी महाविद्यालयों/संस्थाओं के रूप में विकसित करना.

(8). विश्वविद्यालय के आधारभूत उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये, अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रायोजनों के लिए सहकार करना जैसे कि विश्वविद्यालय अवधारित करें।

(9). क्षेत्र–कार्यकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकित नहीं है और जो ग्रामीण, विकास से संबद्ध है, व्याख्यान तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हे ऐसे प्रमाण–पत्र और उपाधि पत्र देना जो विहित किए जाएं.

(10). अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना.

(11). किसी विषय में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति को उस विषय में अनुसंधान का मार्गदर्शन करने के लिए मान्यता देना.

(12). अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी–शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, अनुसंधान केन्द्र और संस्थाएं तथा संग्रहालय संधारित करना.

(13). अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा संबंधी पद सस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना.

(14). प्रशासनिक और अन्य पद सृजित करना और ऐस पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना.

(15). परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियों, छात्र वृत्तियों तथा पारितोषिक संस्थित और प्रदान करना.

(16). विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा कर्मचारिवृन्द के लिए निवास–स्थान संस्थित और संधारित करना.

(17). ऐसी फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना जो विहित किए जाएं.

(18). विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इंतजाम करना।

(19). समस्त ऐसे कार्य तथा बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों और जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हैं.

वीक्षण तथा निरीक्षण.

9. (1) कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे/जिन्हें वह निदेशित करे, विश्वविद्यालय का उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा साजसज्जा का और ऐसी संस्था, महाविद्यालय द्वारा या छात्रावास का, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या प्रशासित किया जाता है या विश्वविद्यालय द्वारा या उसके मार्गदर्शन में संचालित अध्यापन का तथा विश्वविद्यालय के किन्हीं अन्य कृत्यों का निरीक्षण कराने और विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवान या जांच करवाने के अपने आशय की सम्यक् सूचना विश्वविद्यालय को देगा और

विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त कराने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुने जाने का अधिकार होगा.

(3) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के परिणाम विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और उस पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय को उस पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्यवाही के संबंध मे सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्यवाही करने के लिए समय–सीमा नियत कर सकेगा.

(4) यदि राज्य सरकार कोई जानकारी चाहती है या किसी मामले की जांच की जाने की वांछा करती है तो वह कुलाधिपति को निर्देश करेगी जो आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा या जांच करवाएगा और नियत समय के भीतर परिणाम राज्य सरकार को संसूचित करेगा जो ऐसी सलाह दे सकेगी जो वह ठीक समझे.

(5) कुलाधिपति, दी गयी सलाह पर विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही करवाएगा और की गई अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को देगा.

(6) कुलाधिपति, जहां विश्वविद्यालय द्वारा उनके समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं की गई है, नियत समय–सीमा के भीतर और विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा.

(7) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भी समय कुलाधिपति की यह राय हो कि किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध उद्देश्यों को अग्रसर करने में, या इस अधिनियम के उपबंधों और कानूनी विनियमों के अनुसार या विश्वविद्यालय मे अध्यापन, परीक्षा,

अनुसंधान अथवा विस्तार का स्तर बनाए रखने के लिऐ वांछनीय विशेष उपायों के अनुसार नहीं हो रहा है तो वह विश्वविद्यालय को कोई भी ऐसा, मामला उपदर्शित कर सकेगा जिसके संबंध में वह कोई स्पष्टीकरण चाहता है और विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे और यदि विश्वविद्यालय ऐसे समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है या कोई ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो कुलाधिपति की राय मे समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो उसे मामले की परिस्थितियों में आवश्यक और वांछनीय प्रतीत होते है. और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इन अनुदेशों को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हैं.

(8) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी देगा जिसकी कुलाधिपति अपेक्षा करे.

अध्याय 3—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

10. विश्वविद्यालय के प्राधिकरी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(1) प्रबंध बोर्ड.
(2) विद्या—परिषद्.
(3) संकाय.
(4) अध्ययन बोर्ड.
(5) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड.
(6) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं.

बोर्ड का गठन.

11. (1) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलाकर बनेगा:—

(1) कुलाधिपति — पदेन अध्यक्ष.
(2) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश उच्चशिक्षा अनुदान आयोग या उनके नामनिर्देशिती,

(3) कुलपति तथा प्रतिकुलपति

(4) राज्य के शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि और वित्त विभाग के शासन सचिव या उनके नाम निर्देशिती जो उपसचिव से निम्न पद श्रेणी के न हों.

(5) कृषि, ग्रामीण विकास या शिक्षा की पृष्ठभूमि वाले दो विख्यात वैज्ञानिक जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे.

(6) दो प्रगतिशील किसान जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे.

(7) (एक) कृषि या ग्रामीण विकास में विशेष ज्ञान रखने वाला एक विशिष्ट उद्योगपति या विनिर्माता जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(दो) एक प्रतिभाशील महिला सामाजिक कार्यकर्ता अधिमानतः जो ग्रामीण उन्नति संबंधी पृष्ठभूमि रखती हो और जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट की जायेगी.

(तीन) एक विख्यात इंजीनियर जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(चार) एक विख्यात शिक्षाविद जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) लघु या ग्रामीण उद्योगों का एक प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(8) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि.

(9) दीनदयाल शोध संस्थान का एक प्रतिनिधि.

(10) एक संकायाध्यक्ष/निदेशक ज्येष्ठता क्रम से बारी बारी से.

(11) एक विख्यात चिकित्साविद जिसे देशी औषधियों में विशिष्टता प्राप्त हो और

जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(12) एक प्रतिभाषाली विधिज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(2) कुलाधिपति बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलसचिव बोर्ड का सदस्य सचिव होगा.

(3) पदेन सदस्यों को छोडकर बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और कोई सदस्य अधिकतम दो कार्यकाल तक सेवा करने का पात्र होगा.

(4) किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कोई रिक्त होने की दशा मे उसका उत्तराधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा जो उसके असमाप्त कार्यकाल के शेष भाग में सेवारत रहेगा.

(5) बोर्ड के सदस्य विश्वविद्यालय से कोई मानदेय, ऐसे दैनिक और यात्रा भत्तों को छोड़कर जो कि विहित किये जायें, प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे.

बोर्ड की शक्तियाँ और उसके कर्तव्य.

12. (1) बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं और प्राक्कलनों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन पर विचार करना तथा उनका बजट अनुमोदित करना.

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये सिफारिशों को विहित रीति से अनुमोदित करना.

(ग) आशयित प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार मे रखी गई निधियों को प्रशासित करने के लिये उपबंध करना.

(घ) विश्वविद्यालय की निधियों के विनिहित करने या उनके प्रत्याहरण के लिये व्यवस्था करना.

(ड) पूंजीगत उन्नयन के लिये धन उधार लेना और उसकी वापसी के लिये उचित व्यवस्था करना.

(च) विश्वविद्यालय की ओर से सम्पत्ति प्रतिग्रहित करना, अर्जित करना, धारण करना और उसके व्ययन करने के लिये उपबंध करना.

(छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का स्वरूप और उसका उपयोग अवधारित करना.

(ज) ऐसी समितियां, चाहे स्थायी हों या अस्थायी, जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे नियुक्त करना और उसका निर्देश निबन्धन, इस अधिनियम या परिनियमों की परिसीमा के भीतर रहते हुऐ स्थापित करना.

(झ) विश्वविद्यालय संबंधी समस्त नीतियां इस अधिनियम या परिनियम के अनुसार अवधारित या विनियमित करना.

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों की भीतर रहते हुए विद्या परिषद् द्वारा अवधारित विद्या की ऐसी शाखाओं में और अध्यापन पाठ्यक्रमों मे शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिये और अनुसंधान और ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार के लिये वित्तीय प्रावधान करना.

(ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक महाविद्यालयों, संस्थाओं, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, प्रयोग प्रक्षेत्रों और अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए और उनके अनुरक्षण के लिए उपबंध करना.

(ठ) उपाधियां, उपाधि पत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं के स्थापित किये जाने और प्रदान किये जाने के लिए उपबंध करना.

(ड) छात्रवृत्तियों, अद्येता–वृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों, पदकों, पारितोषिकों आदि के स्थापित किये जाने, संधारण किये जाने और प्रदाय किये जाने के लिए उपबंध करना.

(ढ) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत और दान प्रतिग्रहित करना.

(ण) ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर जैसा कि वह आवश्यक समझे सम्मिलन करना, परन्तु वह कम से कम प्रत्येक तीन माह में नियमित सम्मिलन करेगा.

(त) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग ओर ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या परिनियामें से असंगत न हो और जा इस

अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों.

(2) बोर्ड, परामर्श करने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो विचाराधीन किसी विषय पर अनुभव या विशेष ज्ञान रखता हो, सम्मिलन मे उपस्थित होन के लिए आमंत्रित कर सकेगा, ऐसा व्यक्ति ऐसे सम्मिलन में बोल सकेगा और अन्यथा भाग ले सकेगा, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा. इस प्रकार आमन्त्रित किया गया कोई व्यक्ति सम्मेलन मे उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो विहित किये जायें.

विद्या परिषद्.

13. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी कार्यकलापों की प्रभारी होगी और इस अधिनियम और परिनियामों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा और उपाधियों के प्रदान किये जाने या उपाधिपत्रों के दिए जाने संबंधी अन्य विषयों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करेगी और उसके स्तर बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जैसी कि परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किये जायें. वह कुलपति को विद्या संबंधी समस्त विषयों पर सलाह देगी.

(2) विद्या परिषद् में निम्न लिखित सदस्य होगे :–

(क) कुलपति – पदेन अध्यक्ष,

(ख) प्रति कुलपति , यदि कोई हो,

(ग) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश या उसका नामनिर्देशिती,

(घ) विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष,

(ड) माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष,

(च) विभिन्न संकायों के विभागाध्यक्षों मे से छः सदस्य जो कुलपति द्वारा बारी–बारी से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(छ) ऐसे अन्य सदस्य जो कुलपति द्वारा किसी अध्ययन पाठ्यक्रम पर विचार करने के लिये आवश्यक समझे जाएं,

(ज) कुल सचिव – पदेन सचिव.

(3) विद्या परिषद् अधिक से अधिक पांच व्यक्तियों को, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी – रीति मे जैसा कि परिनियामें द्वारा विहित किया जावे, सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी ताकि ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके.

विद्यापरिषद् की शक्तियाँ, उसके कृत्य और कर्तव्य.

14. (1) विद्या परिषद को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों द्वारा समस्त अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करने और पाठ्यक्रम अवधारित करने की शक्ति होगी और उसका विश्वविद्यालय के भीतर अध्यापन और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह उसका स्तर बनाये रखने के लिए उत्तर दायी होगी.

(2) उसे विद्या संबंधी समस्त विषयों पर, जो उसके नियंत्रण के अधीन हो, इस अधिनियम के संगत अध्यादेशों को बनाने की शक्ति होगी.

(3) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् को निम्नलिखित शक्ति होगी :–

(क) समस्त विद्या संबंधी विषयों पर, जिसके अंतर्गत पुस्तकालय का नियंत्रण और प्रबंध है, बोर्ड को सलाह देना,

(ख) आचार्य पद, सह आचार्य पद, उपाचार्य पद और अध्यापन पद और अन्य अध्यापन पद जिनके अंतर्गत अनुसंधान और विस्तार के संबंध में पद हैं, स्थापित करना और उनके कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश करना,

(ग) अध्यापन, अनुशासन और विस्तारी शिक्षा के विभागों का गठन करना, उनके पुनर्गठन के लिए स्कीमों को तैयार करना, उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना,

(घ) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के बारे में अध्यादेश बनाना और उन

विद्यार्थियों की, जिन्हें प्रवेश दिया जायेगा, संख्या अवधारित करना,

(ङ) उपाधियों, उपाधिपत्रों या प्रमाण–पत्रों के लिए अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रमों के संबंध में अध्यादेश बनाना,

(च) परीक्षा का संचालन और उनका स्तर बनाये रखना और उसमें अभिवृद्धि करने के संबंध में अध्यादेश बनाना,

(छ) स्नातकोत्तर अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा के संबंध में सिफारिश करना,

(ज) विश्वविद्यालयों मे अध्यापकों के लिए विहित की जाने वाली अर्हताओं के बारे में सिफारिश करना.

ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसे प्रदत्त की जायें और उस पर अधिरोपित किए जायें.

संकाय.

15. (1) विश्वविद्यालय मे ऐसे संकाय होंगे, जो कि विहित किये जायें

(2) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग/संस्थान होंगे, और अध्ययन के वे विषय होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाएं.

(3) प्रत्येक संकाय का एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसकी शक्तियां विहित की जाएंगी.

(4) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जिसका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा और जिसका कार्यकाल उतना होगा, जैसा कि विहित किया जाए,

(5) संकायाध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के निष्ठापूर्वक पालन और उसमे समाविष्ट विभागों के अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी कार्य आयोजित करने और संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा.

अध्ययनबोर्ड.

16. प्रत्येक विभाग के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा. बोर्ड का गठन, कार्यकाल, उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये.

विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड.

17. अल्पकालिक और दीर्घकालिक विद्या संबंधी योजनाएं तैयार करने के लिए और ऐसी योजनाओं के पालन को मानीटर करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड होगा. विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड का गठन, कार्यकाल, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वार विहित किया जाए.

समितियों का गठन.

18. प्रत्येक प्राधिकारी को, ऐसी समितियां, जो जब तक कि इस अधिनियम या परिनियम में उपबंधित न हों, प्राधिकारी के सदस्यों से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिन्हें वह उचित समझे मिलकर बनेंगी, नियुक्त करने की शक्ति होगी.

प्राधिकारियों में सदस्यता संबंधी उपबन्ध.

19 (1) आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना – इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों में, पदेन सदस्यों को छोड़कर, समस्त आकस्मिक रिक्तियां उन व्यक्तियों द्वारा या उस निकाय द्वारा जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त निर्वाचित या सहयोजित किया था, सुविधानुसार यथाशीघ्र भरी जाएंगी और किसी आकस्मिक रिक्त पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति उस व्यक्ति के, जिसका स्थान उसने है, बचे हुए कार्यकाल के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा.

(2) सदस्यता से हटाया जाना – बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से किसी व्यक्ति को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अनैतिकता अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है:

परन्तु किसी व्यक्ति के विरूद्ध हटाये जाने के लिए कोई आदेश उसकी सुनवाई का अवसर दिए विना पारित नहीं किया जाएगा.

(3) ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या न हो, प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य है, विश्वविद्यालय, प्राधिकारी निकाय में अपना स्थान तब तक धारण किये रहेगा, जब तक कि वह उस निकाय का सदस बना रहता है। उसके द्वारा वह नियुक्त या निर्वाचित किया गया था और उसके पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक नियुक्त या निर्वाचित नहीं हो जाता.

(4) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति सम्ययकतः नियुक्त या निर्वाचित किया गया हैं या वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्यता का हकदार है या कि क्या विश्वविद्यालय का कोई विनिश्चय – इस अधिनियम और परिनियम के अनुसार है तो वह प्रश्न कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम है.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

20. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के आधीन सद्भवपूर्वक की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अधिकारी के विरूद्ध कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

कार्यवाहियाँ रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी.

21. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय का काई कार्य या कार्यवाही के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि :–

(क) उसमें कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटी है,

(ख) उसके सदस्य के रूप मे कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि हैं,

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी त्रुटि है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालती है.

अध्याय 4 विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

22. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(1) कुलाधिपति.
(2) कुलपति.
(3) प्रति कुलपति.
(4) कुलसचिव.
(5) नियंत्रक (कंट्रोलर) .
(6) विश्वविद्यालय की सेवा में से ऐसे अन्य अधिकारी जैसा कि परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए,

कुलाधिपति और उसकी शक्ति.

23. (1) कुलाधिपति राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, वह उस तारीख से, जिस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा. कोई व्यक्ति जो कुलाधिपति का पद धारण करता है या धारण कर चुका है, उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और जब वह उपस्थित हो, बोर्ड के सम्मिलनों में और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह मे अध्यक्षता करेगा.

(3) विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारी कुलाधिपति के अधीनस्त रहेंगे.

(4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकारियों की किसी कार्यवाही को जो इस अधिनियम परिनियमों, अध्यदेशो, विनियमों,

नियमों या उपविधियों के अनुरूप न हो, लिखित आदेश द्वारा बातिल कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व, कुलाधिपति ऐसे प्राधिकारी से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और उस हेतुक पर विचार करेगा जो ऐसे, प्राधिकारी द्वारा यथोचित समय के भीतर दर्शित किया गया है.

(5) कोई मानोपाधि प्रदान की जाने के लिए कोई प्रस्ताव कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अधीन रहेगा.

(6) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो कि इस अधिनियम या परिनियामें द्वारा उसे प्रदत्त की जायें.

कुलपति.

24. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा. इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा चार वर्ष की कालावधि के लिए और ऐस निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जैसा कि कुलाधिपति अवधारित करे.

(2) पश्वात्वर्ती कुलपति, द्वारा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित की गयी समिति की, जिसे इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त किया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् समिति के रूप में नामनिर्दिष्ट है) सिफारिशों पर नियुक्त किए जाएंगे.

(3) [1]समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(एक) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति ;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति :

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबद्ध है, समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा.

(3–क) उपधारा (3) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति, जहां तक संभव हो, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, प्रबन्ध बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने–अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो इसके पश्चात् कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा''.

(4) कुलाधिपति समिति के सदस्यों मे से किसी एक को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा.

(5) [2]समिति अपनी सिफारिश अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर करेगी, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए,

(5–क) यदि किसी कारण से यह समिति, जो उपधारा (3) के अधीन गठित की गई है, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा. इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों की एक तालिका प्रस्तुत करेगी.

(5–ख) यदि उपधारा (5–क) के अधीन गठित की गई समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति किसी भी

ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा'';

(6) कुलपति अपनी सिफारिश अपनी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कम से कम तीन नामों की उस तालिका में से की जाएगी जो उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर समिति द्वारा उसे प्रस्तुत की गई हो.

(7) कुलपति उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होगा.

परन्तु कोई व्यक्ति दो से अधिक पदावधियों के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा.

(8) कुलपति को देय पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये.

(9) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान विद्या विषयक और कार्यपालक अधिकारी होगा ओर विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे.

(10) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, त्यागपत्र कार्य मुक्त किए जाने की तारिख से प्रभावशील हो जाएगा.

(11) यदि किसी भी समय अभ्यावेदन किए जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् किसी समय कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि –

(एक) कुलपति ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर आधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है, या

(दो) कुलपति ने विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है। या

(तीन) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने मे असमर्थ है तो –

कुलाधिपति इस तथ्य के होत हुए भी, कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारण कथित किए जाएंगे, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.

(12) [3]कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी रुग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्त भी सम्मिलित है, किसी संकाय या संकायाध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति, जो कुलाधिपति द्वारा उपयुक्त समझा जाए और कुलाधिपति द्वारा उसे उस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित किया जाए, कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि धारा 24 की उपधारा (2) या उपधारा (5–ख) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति ग्रहण या पुनःग्रहण नहीं कर लेता हैं :

परन्तु इस उपधारा के अनुसार किया गया इंतजाम [6]अठारह मास से अधिक कालावधि के लिए चालू नहीं रहेगा.''

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य.

25. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा और वह विद्या परिषद् को पदेन अध्यक्ष होगा, वह कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और उन व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के लिए हकदार हों.

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और वह विश्वविद्यालय मे अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी रहेगा.

(3) कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श से विद्या परिषद् का सम्मिलन बुलाएगा.

(4) कुलपति इस अधिनिमय और परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो कि इस निमित्त आवश्यक हों.

(5) कुलपति बोड को वर्षिक वित्तीय प्राक्कलन और वार्षिक लेखे तथा तुलन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी रहेगा.

(6) कुलपति, किसी आपतिक स्थिति में, जिसमें उसकी राय में कोई त्वरित कार्यवाही की जाना अपेक्षित है कोई भी कार्यवाही कर सकेगा। ऐस मामले में और उसके पश्चात् यथाशक्य शीध्र वह अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने सामान्यतः ऐसे मामलों में कार्यवाही की होती.

(7) उपरोक्त उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्त, उनका निलम्बन तथा उनकी पदच्युति से संबंधित बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा.

(8) जहा उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति पर हितकर प्रभाव पड़ता है वहा ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्यवाही की सूचना प्राप्त होती हैं, तीन दिन कि भीतर बोर्ड की अपील कर सकेगा.

(9) कुलपति, विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन के लिए और अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तारी शिक्षा के निकट समन्वय तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी रहेगा.

(10) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियो का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों तथा उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कुलाधिपति द्वारा विहित की जाएं.

प्रथम कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

26. विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् तथा उसके अन्य प्राधिकारियों का गठन विश्वविद्यालय

की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर करे और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति को यथा स्थिति प्रबंध बोर्ड, विद्यापरिषद् या उसका ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जायेगा और वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का, या उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग तथा पालन करेगा :

परन्तु कुलाधिपति यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो ऐसे प्राधिकारियों के स्थान पर कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करने में उसकी (कुलपति की) सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए ऐसी समिति नियुक्त करेगा, जिसमें एक शिक्षाशास्त्री एक प्रशासकीय विशेषा और एक वित्तीय विशेषज्ञ होंगे.

प्रतिकुलपति.

27. कुलपति, संकायाध्यक्षों में से किसी एक को प्रति–कुलपति के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा वह कुलपति के विवेकानुसार पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किये जाएं.

कुलसचिव.

28. (1) कुल सचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए उस कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(2) कुल सचिव को दैनिकवेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(3) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेख तथा उसकी सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी रहेगा। वह विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा और वह उसके समक्ष ऐसी समस्त जानकारी रखने के लिए आबद्ध होगा, जो कामकाज के सम्पादन के लिए आवश्यक है. वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगा, और समस्त पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्चाओं (करिक्युलम) तथा अन्य जानकारी का, जो भी आवश्यक समझी जाए, स्थायी अभिलेख रखेगा.

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यो, जिसमें सम्मिलित है लिये गये पाठ्यक्रम प्राप्त ग्रेड प्रदान की गयी उपाधि,

जीते गये पारितोषक तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टाएं और विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यों से संबंधित किन्हीं अन्य मदों का स्थायी अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा.

(5) कुलसचिव, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो समय–समय पर विहित या अपेक्षित किये जाएं या बोर्ड या कुलपति द्वारा समनुदेशित किए जाएं.

नियंत्रक.

29. (1) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और बोर्ड की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा.

(2) नियंत्रक का वेतन और वेतन और भत्ता तथा सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(3) नियंत्रक, विश्वविद्यालय की निधियों तथा विनिधानों का प्रबंध करेगा और उसकी वित्तीय नीतियों के बारे में सलाह देगा.

(4) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का बजट और लेखा विवरण तैयार करने के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहेगा.

(5) नियंत्रक, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहेगा कि बजट में प्राधिकृत किए गये अनुसार व्यय किए जाते हैं. जब नये कार्यक्रमों के विस्तार के हित में, आवश्यकताओं की तब्दीली या किन्हीं अन्य कारणों से बजट पुनरीक्षण आवश्यक हो वहां वह आवश्यक पुनरीक्षणों को तैयार करने और उनका शीघ्र समुचित अनुमोदन कराने के लिये उत्तरदायी रहेगा.

अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पारिश्रमिक.

30. विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को विश्वविद्यालय में के किसी कार्य के लिये कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही उसके द्वारा स्वीकार किया जायेगा सिवाए ऐसे पारिश्रमिक के जो परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए.

अध्यापन, अनुसंधान तथा कृत्यों का विस्तार और एकीकरण तथा पाठ्यचर्चा और सेवाओं का समन्वय.

31. विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों के परामर्श से कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी क्रियाकलापों के पूर्ण समन्वय के लिये

आवश्यक ऐसी सभी कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी रहेगा.

अध्याय 5 – विश्वविद्यालय के कर्मचारी

अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति.

32. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कुलपति द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में कुलपति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, बोर्ड के अनुमोदन से की जाएगी.

(2) परिनियमों में अन्यथा उपबंधित से भिन्न मामलों में, विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, संविदा, कुलपति के पास रखी जाएगी और उसकी प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी. संविदा, सेवा शर्तों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी.

(3) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया, जब तक कि अधिनियम में अन्यथा, उपबंधित न हो, ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए.

अध्याय 6 – विश्वविद्यालय– निधि आदि.

बीमा तथा भविष्य निधि.

33. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिये ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, ऐसी बीमा तथा भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे.

(2) इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा गठित बीमा और भविष्य निधि के लिये, राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि ऐसी निधि को भविष्य–निधि अधिनियम, 1925 (1925 का सं. 19) के उपबंध लागू होंगे मानों कि वह सरकारी भविष्य निधि है; परन्तु विश्वविद्यालय को बोर्ड के परामर्श से भविष्य निधि रकम का

विनिधान ऐसी रीति में करने की शक्ति होगी जैसी कि वह अवधारित करे.

(3) विश्वविद्यालय को अन्तरित सरकारी सेवाओं में के व्यक्ति ऐसे निबंधनों तथा शर्तों से शासित होंगे जो विश्वविद्यालय तथा सरकार के बीच तय पायी जाएं.

विश्वविद्यालय निधि तथा सरकारी अनुदान.

34. (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी.

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे :–

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक, अभिदाय या अनुदान;

(ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एनडाउमेटस) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(ग) समस्त स्त्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अंतर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय है;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य धनराशियां .

(3) सरकार सामान्यतया दो करोड़ रूपये का वार्षिक अनुदान देगी. सराकर द्वारा उक्त अनुदान वर्ष के दौरान दो किश्तों में दिया जाएगा. पहली किश्त वर्ष के प्रारंभ में तथा द्वितीय किश्त 6 माह के अंतराल के बाद दी जाएगी.

(4) विश्वविद्यालय–निधि, बोर्ड के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) में यथापरिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का सं. 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूति में विनिहित की जाएगी.

(5) इस धारा में की कोई भी बात किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा प्रतिगृहीत की गई या उस पर अधिरोपित की गई किसी बाध्यता पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी.

उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

35. (1) विश्वविद्यालय–निधि का उपयोजन निम्न उपयोजन उद्देश्यों के लिये किया जायेगा :–

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों,

———————————————————————————

अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए,

(ख) महाविद्यालयों/संस्थानों, अध्यापन/विभागों, निवासों तथा छात्र–निवासों के अनुरक्षण के लिए

(ग) विश्वविद्यालय–निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए,

(घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों के, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, व्ययों के लिए,

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिए और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों/संस्थानों, अध्यापन विभागों में नियोजित किए गए अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापक वृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों,, उपदानों तथा अन्य फायदों के संदाय के लिए,

(च) बोर्ड, विद्या–परिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालय के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों और/या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या किसी बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिए,

(छ) विद्यार्थियों को अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरूस्कारों के संदाय के लिए,

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए,

(झ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किए गये किसी ऐसे अन्य व्यय के, जो बोर्ड

द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय घोषित किया गया हो, संदाय के लिए .

(2) बोर्ड द्वारा वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिए नियत की गयी सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा.

(3) उस व्यय से, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा.

36. (1) नियंत्रक विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तैयार करेगा जिसकी संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी.

(2) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो पंद्रह मास से अधिक के न हों.

(3) लेखे, जबकि उनकी संपरीक्षा कर ली जाए, वर्षिक रिपोर्ट के भाग बन जाएंगे.

(4) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी तथा अपनी टीका–टिप्पणी के साथ सरकार को भेजी जाएगी.

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक रिपोर्ट उसके तैयार किये जाने के पश्चात् याथाशक्यशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

अध्याय 7–परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम.

37. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :–

(1) प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां तथा कर्तव्य.

(2) कुलाधिपति से भिन्न अधिकारियों की शक्तियां, कृत्य, कर्तव्य, नियुक्ति की रीति तथा सेवा शर्तें.

(3) अधिकारियों का पदाभिधान, उनकी नियुक्ति की रीति शक्तियां तथा कर्तव्य.

(4) अध्यापकों तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति.

(5) मानदेय उपाधियां तथा विद्या संबंधी विशिष्टताओं का प्रदत्त किया जाना तथा उनका प्रत्याहरण.

(6) संकायों की स्थापना, सम्मेलन, उप विभाजन तथा उनकी समाप्ति.

(7) संकायों में के अध्यापन विभागों की स्थापना.

(8) कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, परिलब्धियों तथा सेवा की शर्तें तथा उसकी शक्तियां .

(9) कुलपति से भिन्न अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा चयन की रीति और उनकी शक्तियां तथा सेवा के निबंधन तथा शर्ते.

(10) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि तथा अन्य बीमा स्कीम की स्थापना तथा ऐसी निधियों के नियम, निबन्धन तथा शर्तें .

(11) इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए समस्त अन्य आवश्यक बातें.

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.

38 (1) धारा 37 मे दिये गये विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम, राज्य सरकार के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे.

(2) अतिरिक्त परिनियम, ऐसे समस्त विषयों पर जिन पर परिनियम बनाए जाना अपेक्षित हो, बोर्ड तथा कुलपति द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए बनाये जा सकेंगे.

(3) परिनियमों का प्रस्ताव विद्यापरिषद्, कुलपति या बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा. किसी ऐसे परिनियम के मामले में जो बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया हो और जो विश्वविद्यालय के आंतरिक कार्यकरण से संबंधित हो, प्रारूप परिनियम को कुलपति के विचारार्थ पुनः निर्दिष्ट किये जाने चाहिए और उन पर बोर्ड द्वारा अंतिम कार्यवाही किए जाने के पूर्व प्रस्तावित परिनियमों का पुनर्विलोकन करने और उनमें परिवर्तन या उपांन्तरण करने के लिये सुझाव देने हेतु विश्वविद्यालय को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए.

(4) कोई भी परिनियम बोर्ड के कार्य द्वारा तथा कुलाधिपति के अनुमोदन से निरस्त किया जा सकेगा.

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाए गये समस्त प्रथम परिनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे.

अध्यादेश.

39. इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :

(1) उपाधि तथा उपाधिपत्र प्रदत्त करने के लिए दीक्षांत समारोहों का किया जाना. ,

(2) सम्मानिक उपाधियों, विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना तथा उपाधियों का प्रत्याहरण,

(3) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों का स्थापन तथा उनकी समाप्ति,

(4) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों (एकजीविशन्स), वजीफों (बर्सरीज), पदकों, पारितोषिकों तथा अन्य पुरूस्कारों का संस्थित किया जाना,

(5) बोर्ड के सदस्यों को देय भत्ते,

(6) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा उनका नामांकन और उस रूप मे उनका बना रहना तथा विद्यार्थियों का नाम नामांकन में से हटाने के लिए शर्तें तथा प्रक्रिया,

(7) फीस जो कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जा सकेगी ,

(8) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण–पत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,

(9) शर्तें जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों या अन्य पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं मे प्रवेश दिया जाएगा तथा उपाधियां और उपाधिपत्र देने के लिए उनकी पात्रता,

(10) उपाधि तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को प्रदान किये जाने के लिए शर्तें,

(11) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना,

(12) विशेष प्रबंध यदि कोई हो, जो कि महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किये जा सकते हों और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना,

(13) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें और छात्रावासों के निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण,

(14) उस छात्रावास की मान्यता तथा प्रबन्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं किया जाता है,

(15) विश्वविद्यालय के अधीन नियोजित अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तें, पारिश्रमिक तथा भत्ते जिसमें उनका भुगतान किये जाने वाले यात्रा तथा दैनिक भत्ते सम्मिलित है.

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे.

40. (1) धारा 39 मे दिये गये विषयों के सम्बंध में प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे.

(2) इस अधिनियम और परिनियम के अधीन बनाये गये उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं की पद्धति तथा उपाधि और उपाधिपत्रों का संबंधित अध्ययन बोर्ड से उसका प्रारूप प्राप्त करके, उपबंध करने के लिए अध्यादेश बना सकेगी.

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन बनाये गये किसी अध्यादेश में ऐसी रीति में जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, संशोधित का निर्देश दे सकेगा या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किसी अध्यादेश को बातिल करने का निदेश दे सकेगा.

विनियम.

41. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, इस अधिनियम तथा परिनियमों से सुसंगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेंगे :–

(क) उनके सम्मिलनों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित करना,

(ख) उन विषयों के संबंध में उपबंध करना जिनको कि इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना हो.

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनाएगा, जिसमें ऐसे प्राधिकारी के सदस्य को सम्मिलनों की तारीखों की तथा ऐसे कामकाज की, जिसपर सम्मिलन में विचार किया जाना है, सूचना देने के लिए और सम्मिलन की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए उपबंध करेगा.

अध्याय–8– प्रकीर्ण

विद्यार्थियों के निवास स्थान.

42. विद्यार्थी, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित स्थान में या ऐसे स्थान में जो विहित की गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विद्यार्थी क्रियाकलाप के निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाय, निवास करेंगे.

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

43. बोर्ड, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से किन्हीं भी शक्तियों को, ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि विहित किये जायें, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

अधिनियम क्रमांक 21 सन् 1973 का लागू न होना.

44. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या उसके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों, उपविधियों, और विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 (क्रमांक 21

सन् 1973) के उपबन्ध इस विश्वविद्यालय को लागू नहीं होगें.

कठिनाइयों का दूर किया जाना.

45. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(2) इस धारा के अधीन का प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

निरसन.

46. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1991 (क्रमांक 1 सन् 1991) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल दिनांक 18 अप्रैल 1991

क्र. 5849–21–अ (प्रा). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.पी.एस. पिल्लई, उपसचिव

1. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
2. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
3. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
4. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997.
5. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997.
6. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1997.